रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122020-223991 CG-DL-E-29122020-223991

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667] No. 667] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/पौष 8, 1942 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/ PAUSHA 8, 1942

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2020

सा.का.िन. 802(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारिजस्ट्रार का कार्यालय एवं भारत के पदेन जनगणना आयुक्त, निदेशक(इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रसंस्करण) समूह "क" पद भर्ती नियम, 1982,भारत के महारिजस्ट्रार का कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक(इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रसंस्करण) समूह "क" पद भर्ती नियम, 2006,भारत के महारिजस्ट्रार का कार्यालय [संयुक्त निदेशक(इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रसंस्करण)] भर्ती नियम, 2000,भारत के महारिजस्ट्रार का कार्यालय, उप निदेशक(इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रसंस्करण) भर्ती नियम, 2000,भारत के महारिजस्ट्रार का कार्यालय[सहायक निदेशक (इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रसंस्करण)] भर्ती नियम, 2000,भारत के महारिजस्ट्रार का कार्यालय तथा राज्य निदेशक जनगणना कार्य एवं संघ क्षेत्र सहायक निदेशक (डाटा केंद्र) भर्ती नियम 2002तथा भारत के महारिजस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्य तथा संघ क्षेत्र जनगणना कार्य निदेशालय, वरिष्ठ पर्यवेक्षक, भर्ती नियम, 2013, का इस प्रकार के अधिक्रमण करने से पूर्व किए गए कार्य या छोड़े गए किए जाने वाले कार्य के अतिरिक्त, राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारिजस्ट्रार का कार्यालय एवं राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालयों में, सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग में, विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमित करते हुए निम्निलिखित नियम बनाते है:-

6381 GI/2020 (1)

- 1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशालय में सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग(समूह "क" एवं समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2020 होगा।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे मैट्रिक्स में लेवल: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उससे जुड़ी पे मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न उल्लिखित अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि: भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त उल्लिखित अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4.** निरर्हताएं: वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट है कि, ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन
				अथवा अचयन
				पद है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. वरिष्ठ तकनीकी	01*(2020)	सामान्य केन्द्रीय	रुपये 131100-	चयन
निदेशक	*कार्यभार के अनुसार	सेवा, समूह 'क'	216600पे मैट्रिक्स में	
	संख्या में परिवर्तन	राजपत्रित,	लेवल 13ए	
	किया जा सकता है	अनुसचिवीय		

सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी		भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में, ग्रेड जिनमें से पदोन्नतिया प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति:
			(i) रुपये 123100-215900 पे मैट्रिक्स में लेवल13 में तकनीकी निदेशक, ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ।
			नोट 1: वरिष्ठ तकनीकी निदेशक पद पर पदोन्नति के लिए पदधारी द्वारा अतिरिक्त निदेशक (एलेक्ट्रोनिक डाटा प्रसंस्करण) (तकनीकी निदेशक के रूप में पुन:नामित) के रूप में प्रदत्त सेवा गिनती की जाएगी।
			नोट 2: जहां उन किनष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नित के लिए, अपने उन किनष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरच	ना क्या है?	भर्ती करते	समय	किन
		परिस्थितियों में		
		आयोग से परामश	िकिया जाए	गा।
(12)		(1	3)	
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विच	र हेतु)जिसमें	संघ लोक सेवा 3		रामर्श
निम्नलिखित शामिल है:		आवश्यक नहीं है	1	
(1) अध्यक्ष या सदस्य,				
संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष			
(2) भारत के महारजिस्ट्रार	- सदस्य			
(3) संयुक्त सचिव (प्रशा.) गृह मंत्रालय	- सदस्य			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. तकनीकी निदेशक	4*(20) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 123100- 215900 पे मैट्रिक्स में लेवल 13	चयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने	पदोन्नति : रुपये 78800-209200 पे मैट्रिक्स में
	पर प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक	लेवल 12 में संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी),
	संविदा सहित) द्वारा	ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ।
		नोट 1 : तकनीकी निदेशक पद पर पदोन्नति के लिए
		पदधारी द्वारा संयुक्त निदेशक (एलेक्ट्रोनिक डाटा
		प्रसंस्करण) (संयुक्त निदेशक,सूचना प्रौद्योगिकी, के
		रूप में पुन:नामित) के रूप में प्रदत्त सेवा की भी गिनती की जाएगी।
		नोट 2 : जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता
		अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ
		सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि
		उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी
		मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से

अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम होऔर जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परिवीक्षा अविध पूरी कर चुके हैं।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक -संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यप्रशासन क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी, -

(क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों;

अथवा

- (ii)जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में रुपये 78800-209200 पे मैट्रिक्स में लेवल 12 पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों: और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन या कम्प्युटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर अभियांत्रिकी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।

(ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत निकाय या सांविधिक निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में इलेक्ट्रोनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण या वास्तविक कम्प्युटर प्रोग्राममिंग या सॉफ्टवेर डेब्लपमेंट या डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली या वेब डिजाइनिंग या नेटवर्किंग या कम्प्युटरकृत सूचना भंडारण एवं पुन:प्राप्ति प्रणाली

या डाटा सुरक्षा का बारह वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो
पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर
नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध सहित प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यत: पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचा	र हेतु) जिसमें	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति
निम्नलिखित शामिल हैं:		(अल्पकालिक-संविदा सहित) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा
1. अध्यक्ष या सदस्य,		आयोग से परामर्श आवश्यक है ।
संघ लोक सेवा आयोग	- अध्यक्ष	
2. भारत के महारजिस्ट्रार	- सदस्य	
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.),		
गृह मंत्रालय या भारत के अपर महारजिस्ट्रार,		
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(3) संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	12*(2020) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 78800- 209200 पे मैट्रिक्स में लेवल 12	चयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने	पदोन्नति :
	पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक- संविदा सहित) द्वारा	रुपये 67700-208700 पे मैट्रिक्स में लेवल 11 में उप निदेशक(सूचना प्रौद्योगिकी), ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा निर्धारित संस्थान से संबन्धित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
		नोट 1: संयुक्त निदेशक,सूचना प्रौद्योगिकी, पद पर पदोन्नति के लिए पदधारी द्वारा उप निदेशक (एलेक्ट्रोनिक डाटा प्रसंस्करण) (उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में पुन:नामित) के रूप में प्रदत्त सेवा की भी गिनती की जाएगी।
		नोट 2: जहां उन किनष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके विरुठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नित के लिए, अपने उन किनष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता
		अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके हैं।
		प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक-संविदा सहित) :
		केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों अथवा सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी:
		(क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों; अथवा
		(ii)जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में रूपये 67700-208700 पे मैट्रिक्स में लेवल 11पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों या मूल संवर्ग अथवा विभाग में समक्ष हों; और
		अथवा विभाग म समक्ष हा; आर

- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :
- i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन या कम्प्युटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर अभियांत्रिकी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।

ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत निकाय या सांविधिक निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में इलेक्ट्रोनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण या वास्तविक कम्प्युटर प्रोग्राममिंग या सॉफ्टवेर डेब्लपमेंट या डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली या वेब डिजाइनिंग या नेटवर्किंग या कम्प्युटरकृत सूचना भंडारण एवं पुन:प्राप्ति प्रणाली या डाटा सुरक्षा का दस वर्ष का अनुभवहोना चाहिए।

नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नित की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नित पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य सं<u>वर्ग बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध सहित प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)			((13)	
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति प	गर विचार		अधिकारी		•
हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:		`	कालिक-संविदा समय संघ र	- ,	_
1. अध्यक्ष या सदस्य,		परामश	र्श आवश्यक है	है।	
संघ लोक सेवा आयोग -	अध्यक्ष				
2. भारत के महारजिस्ट्रार -	सदस्य				
3. संयुक्त सचिव (प्रशा.),					
गृह मंत्रालय या भारत के अपर महारजिस्ट्रार,					
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	- सदस्य				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(4)उप निदेशक, (सूचना प्रौद्योगिकी)	38*(2020) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 67700 - 208700 पे मैट्रिक्स में लेवल 11	चयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा	पदोन्नित: रुपये 56100-177500 पे मैट्रिक्स में लेवल 10 में सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा और निम्निलिखित शैक्षिक अर्हताएं और प्रशिक्षण रखते हों: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन या कम्प्युटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर;
		या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर अभियांत्रिकी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी मे अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक और

(ख) भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा निर्धारित संस्थान से संबन्धित क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

नोट 1: फीडर ग्रेड के अधिकारियों के पदोन्नति हेतु फीडर ग्रेड में अधिकारियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता लागू नहीं होगी, जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के समय नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों।

नोट 2: उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) पद पर पदोन्नति के लिए पदधारी द्वारा सहायक निदेशक (एलेक्ट्रोनिक डाटा प्रसंस्करण) और सहायक निदेशक (डाटा केंद्र) (सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में पुन:नामित) के रूप में प्रदत्त सेवा की भी गिनती की जाएगी।

नोट 3: जहां उन किनष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या एक वर्ष, इनमें से जो भी कम होऔर जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नित के लिए, अपने उन किनष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परिवीक्षा अविध पूरी कर चुके हैं।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक-संविदा सहित) :

केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यप्रशासन क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमोंअथवा सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी:

- (क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों; अथवा
- (ii)जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में रूपये 56100-177500पे मैट्रिक्स में लेवल 10 पर

नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों; और

- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :
- i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन याकम्प्युटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर अभियांत्रिकी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिक स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक

- ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत निकाय या सांविधिक निकाय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में इलेक्ट्रोनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण या वास्तविक कम्प्युटर प्रोग्राममिंग या सॉफ्टवेर डेब्लपमेंट या डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली या वेब डिजाइनिंग या नेटवर्किंग या कम्प्युटरकृत सूचना भंडारण एवं पुन:प्राप्ति प्रणाली या डाटा सुरक्षा का पाँच वर्ष का अनुभवहोना चाहिए।
- नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य <u>संवर्ग बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध सहित प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यत: चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेत्) जिसमें		प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक-संविदा
निम्नलिखित शामिल हैं:		सहित) पर किसी अधिकारी को
·		नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा
1. भारत के महारजिस्ट्रार	- अध्यक्ष	आयोग का परामर्श आवश्यक है ।
2. भारत के अपर महारजिस्ट्रार या		
निदेशक (प्रशा.), भारत के महारजिस्ट्रार		
का कार्यालय	- सदस्य	
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक या		
तकनीकी निदेशक, भारत के महारजिस्ट्रार		
का कार्यालय	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(5) सहायक निदेशक, (सूचना प्रौद्योगिकी)	87*(2020) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 56100- 177500 पे मैट्रिक्स में लेवल 10	चयन

(6)	(7)	(8)
35 वर्ष से अधिक न हों। नोट 1: केन्द्र सरकार द्वारा	अनिवार्य: (i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से	नहीं
जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मियों के लिए पांच वर्षों की छूट।	कम्प्युटर एप्लिकेशन या कम्प्युटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; या	
नोट 2: आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर अभियांत्रिकी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।	
	(ii) इलेक्ट्रोनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण या वास्तविक कम्प्युटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेर डेव्लपमेंट या डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली या वेब डिजाइनिंग या नेटवर्किंग या कम्प्युटरकृत सूचना भंडारण एवं पुन:प्राप्ति प्रणाली या डाटा सुरक्षा का तीन वर्ष का अनुभवहोना चाहिए।	
	नोट 1: यदि अभ्यार्थी अन्य रूप से सुअर्ह है तो ऐसे मामलों में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित में कारण	

रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है।

नोट 2: अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों के लिए अनुभव संबंधी अर्हताओं को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित में कारण रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है यदि चयन के किसी भी चरण के दौरान संघ लोक सेवा आयोग का अभिमत है कि इन समुदायों से आवश्यक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संभवतः नहीं है।

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्तियों और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	67% पदोन्नति द्वारा, 33% सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नित : रुपये 47600-151100 पे मैट्रिक्स में लेवल-8 ग्रेड में प्रोग्रामर पद पर दो वर्षों की नियमित सेवाऔर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग से तीन हफ्तों का डाटा प्रसंस्करण लेवल- 1प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो। नोट : जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या एक वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नित के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परीवीक्षा अविध पूरी कर चुके हैं।

(12)	(13)
(1) समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें	पद पर नियुक्ति के समय,
निम्नलिखित सम्मलित हैं:	प्रत्येक अवसर पर संघ
1.अध्यक्ष या सदस्य,	लोक सेवा आयोग का
संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष	परामर्श आवश्यक है ।
2. भारत के महारजिस्ट्रार - सदस्य	
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक या तकनीकी निदेशक,	
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य	

(2) समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मलित हैं: 1. भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष 2. निदेशक(प्रशा.) या उप सचिव(प्रशा.), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य 3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक या तकनीकी निदेशक, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(6). प्रोग्रामर	228*(2020) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	समूह ख राजपात्रत,	रुपये 47600- 151100 पे मैट्रिक्स में लेवल 8	चयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा,	पदोन्नति :
	जिसके न होने पर	रुपये 44900-142400 पे मैट्रिक्स में लेवल-7 में डाटा प्रसंस्करण सहायक
	प्रतिनियुक्ति	ग्रेड "ख" में दो वर्षो की नियमित सेवाऔर भारत के महारजिस्ट्रार का
	(अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा	कार्यालय द्वारा निर्धारित संस्था सेदो से चार हफ्तों का संबंधित क्षेत्र में अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया हो ।
	&(\((नोट: जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो
		जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके
		वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित
		योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के
		आधे से अधिक या एक वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और जो अगले उच्च
		ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता
		अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परीवीक्षा अवधि
		पूरी कर चुके हैं ।
		प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक - संविदा सहित) :
		केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यप्रशासन क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमोंअथवा सांविधिक संगठनों अथवा स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी:
		(क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप

पद पर हों: अथवा

(ii)जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में रूपये 44900-142400 पे मैट्रिक्स में लेवल-7 पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों; और

- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :
- i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर अभियांत्रिकी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।

(ii) वास्तविक कम्प्युटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेर डेव्लपमेंट या वेब डिजाइनिंग या नेटवर्किया डाटा बेस प्रबंधन यासाइबर सुरक्षा सहित इलेक्ट्रोनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण कार्य में दो वर्ष का अनुभवहोना चाहिए।

नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य <u>संवर्ग बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध सिहत प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार	प्रितिनियुक्ति (अल्पकालिक - संविदा सहित)
हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मलित हैं:	पर किसी अधिकारी को नियुक्त करने हेतु संघ
1. भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष	लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।
2. निदेशक(प्रशा.) या	
उप सचिव(प्रशा.), भारत के	
महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य	
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक या	
तकनीकी निदेशक, भारत के	
महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(7) डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड "ख"	332*(2020) * कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 44900- 142400 पे मैट्रिक्स में लेवल-7	चयन

(6)	(7)	(8)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

लागू नहीं पदोन्नित द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक - संविदा सहित) द्वारा नोट 1: डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड "ख" पद पर पदोन्नित के लिए पदधारी द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक (डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड "क" के ग्रेड में पाँच वर्षो की नियमित सेवाऔर भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा निर्धारित संस्था सेदो से चार हफ्तों का संबंधित क्षेत्र में अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया हो। नोट 1: डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड "ख" पद पर पदोन्नित के लिए पदधारी द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक (डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड "क" के रूप में पुन:नामित) के रूप में प्रदत्त सेवा गिनती की जाएगी। नोट 2: जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा परी कर ली	(9)	(10)	(11)
हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन किनष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परीवीक्षा अविध पूरी कर चुके हैं। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक - संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यप्रशासन क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमोंया सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों; अथवा (ii)जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में रूपये 35400-	लागू नहीं	जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक - संविदा सहित)	रुपये 35400-112400 पे मैट्रिक्स में लेवल-6में डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड "क" के ग्रेड में पाँच वर्षो की नियमित सेवाऔर भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा निर्धारित संस्था सेदों से चार हफ्तों का संबंधित क्षेत्र में अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया हो। नोट 1: डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड"ख" पद पर पदोन्नति के लिए पदधारी द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक (डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड"क"के रूप में पुन:नामित) के रूप में प्रदत्त सेवा गिनती की जाएगी। नोट 2: जहां उन कनिष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा, ऐसी मांगी गई योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए, अपने उन कनिष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परीवीक्षा अविध पूरी कर चुके हैं। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक - संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ राज्यप्रशासन क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमोंया सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों; अथवा

112400पे मैट्रिक्स में लेवल-6 पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों; और

- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि; या
- (ii) (क). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान सेकम्प्युटर अभियांत्रिकीया कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी या सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।
- (ख) वास्तविक प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेर डेव्लपमेंट या वेब डिजाइनिंगया नेटवर्किंग या डाटा बेस प्रबंधन या साइबर सुरक्षा सहित इलेक्ट्रोनिक आंकड़ों के प्रसंस्करण कार्य में दो वर्ष का अनुभवहोना चाहिए।
- नोट 1: फीडर वर्ग के विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- नोट 2: केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य <u>संवर्ग</u> <u>बाह्य</u> पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध सहित प्रतिनियुक्ति की अविध सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- नोट 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें	संघ लोक सेवा आयोग से
निम्नलिखित सम्मलित हैं:	परामर्श आवश्यक नहीं है ।
1. भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष	
2. निदेशक(प्रशा.) या उप सचिव(प्रशा.),	
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य	
3. तकनीकी निदेशक या संयुक्त निदेशक	
(सूचना प्रौद्योगिकी), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(8) डाटा प्रसंस्करण सहायक ग्रेड "क"	600*(2020) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	रुपये 35400- 112400 पे मैट्रिक्स में लेवल-6	चयन

(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अधिक न हों। नोट 1: केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मियों के लिए पांच वर्षों की छूट। नोट 2: आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगा।	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर अभियांत्रिकी या कम्प्युटर विज्ञान या कम्प्युटर प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकीया सॉफ्टवेर अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में अभियांत्रिकी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक। या (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्युटर एप्लिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्युटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री। या (ii) इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा प्रसंस्करण कार्य में दो वर्षों के अनुभव के साथ वास्तविक प्रोग्नाममिंग या सॉफ्टवेर विकास या वेब डिज़ाइनिंग या नेटवर्किंग या डाटाबेस प्रबंधन या साइबर सुरक्षा का अनुभव। नोट 1: यदि अभ्यर्थी अन्य रूप से सुअर्ह है तो ऐसे मामलें में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित में कारण रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है। नोट 2: अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों के लिए अनुभव संबंधी अर्हताओं को कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित में कारण रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है। नोट वा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के अभ्यार्थियों के लिए अनुभव संबंधी अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है विवेकानुसार लिखित में कारण रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है विवेकानुसार लिखित में कारण रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है विवेकानुसार लिखित में कारण रिकार्ड कर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है विव चयन के किसी भी चरण के दौरान कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी का अभिमत है कि इन समुदायों से पर्याप्त मात्रा में आवश्यक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की उपलब्धता उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संभवतः नहीं है।	नहीं

(9)	(10)	(11)
(9) सीधी भर्तियों एवं पदोन्नत व्यक्तियों के लिए के लिए दो वर्ष	(10) 80% पदोन्नित द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती 20% सीधी भर्ती द्वारा	(11) पदोन्नति: रुपये 29200-92300पे मैट्रिक्स में लेवल 5 में डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड "ख" में छः वर्ष की नियमित सेवाऔर भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय द्वारा निर्धारित संस्था सेदो से चार हफ्तों का संबंधित क्षेत्र में अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिया हो।
		नोट: जहां उन किनष्ठों की नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा हो जिन्होंने अपेक्षित योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, उनके वरिष्ठ सहकर्मियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि उनकी वांछित योग्यता अथवा अर्हक सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और जो अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नित के लिए, अपने उन किनष्ठों जो पहले ही ऐसी योग्यता अथवा अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं, के साथ ही, अपनी परिवीक्षा अविध पूरी कर चुके हैं।

(12)	(13)		
1. समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।		
1. भारत के महारजिस्ट्रार - अध्यक्ष			
2. निदेशक (प्रशा.) या उप सचिव (प्रशा.), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य			
3. तकनीकी निदेशक या संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), भारत के			
महारजिस्ट्रार का कार्यालय - सदस्य 2. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार हेतु) जिसमें			
निम्नलिखित शामिल हैं:			
1. निदेशक (प्रशा.) या उप सचिव (प्रशा.), भारत के महारजिस्ट्रार			
का कार्यालय - अध्यक्ष			

2. संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	- सदस्य	
3. उप निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय	- सदस्य	

[फा. सं. ए-51011/1/2016-प्रशा.V]

डा. विवेक जोशी, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2020

- G.S.R. 802(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Office of the Registrar General, India and ex-officio Census Commissioner for India, Director (Electronic Data Processing), Recruitment Rules, 1982, Office of the Registrar General, India, Additional Director (Electronic Data Processing) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2006, the Office of the Registrar General, India [Joint Director (Electronic Data Processing)] Recruitment Rules, 2000, the Office of the Registrar General, India, Deputy Director (Electronic Data Processing)] Recruitment Rules, 2000, the Office of the Registrar General, India [Assistant Director (Electronic Data Processing)] Recruitment Rules, 2000, the Office of the Registrar General, India, Data Processing Assistant Grade 'A' Recruitment Rules, 2000, Office of Registrar General, India and the Directors of Census Operations in States and Union Territories Assistant Director (Data Centre) Group Recruitment Rules, 2002, and the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Director of Census Operations in States and Union Territories, Senior Supervisor, Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various posts of Information Technology Cadre in the Office of the Registrar General, India and the Offices of the Directorate of Census Operations in States and Union Territories, under the Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India, and the Offices of the Directorates of Census Operations in States and Union Territories in Information Technology Cadre (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification.-No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of	Number of post	Classification	Level in the	Whether selection
post			Pay Matrix	post or non-
				selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Senior	1* (2020)	General Central	Level-13A in	Selection.
Technical	*Subject to	Service, Group 'A'	the pay matrix	
Director.	variation dependent	Gazetted, Non-	Rs.131100-	
	on workload.	Ministerial.	216600.	

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and essential educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	1 , 5
(8)	(9)	(10)	(11)
Not	Not	By promotion.	Promotion:
Applicable.	Applicable.		Technical Director in level-13 in the pay matrix Rs.123100-215900 with two years regular service in the grade.
			Note 1: For the purposes of promotion to the post of Senior Technical Director, service rendered by the incumbent as Additional Director (Electronic Data Processing) (re-designated as Technical Director) shall also be counted.
			Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two

	years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.			Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	
	(12)			(13)
Gro	oup 'A' Departmental Promotion	Committee (for	Consultation with Union Public
con	sidering Promotion) consisting of: -	`	`	Service Commission is not
	, ,			necessary.
1.	Chairman or Member, Union Public Service Commission	-Chairman		
2.	Registrar General, India	-Member		
3.	Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs	-Member.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Technical	4* (2020)	General Central	Level-13 in the	Selection
Director	*Subject to	Service, Group 'A'	pay matrix	
	variation dependent	Gazetted, Non-	Rs.123100-	
	on workload	Ministerial	215900	

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not	By promotion failing which	Promotion:
applicable.	by deputation including short-term contract.	Joint Director (Information Technology) in level – 12 in the pay matrix Rs.78800-209200 with five years regular service in the grade.
		Note 1: For the purposes of promotion to the post of Technical Director, service rendered by the incumbent as Joint Director (Electronic Data Processing) [re-designated as Joint Director (Information Technology)] shall also be counted. Note 2: Where juniors who have completed their

for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

23

Deputation (including short- term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or University or recognised research institutions or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation, -

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level -12 in the pay matrix Rs.78800-209200 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience, namely:-
- (i) Master Degree in Computer Applications or Computer Science or Information Technology or Software Engineering from a recognized University or Institute; or

Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Software Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognized University or Institute.

- (ii) Twelve years post qualification experience of electronic data processing or experience of actual computer programming or software development or data base management system or web designing or networking or organizing computerized information storage and retrieval system or data security in a Government office or public sector undertaking or an autonomous or statutory organisation or in any recognized institution.
- **Note 1:** The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by

promotion.
Note 2: The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

	(12)	(13)	
	oup 'A' Departmental Promotion (sidering promotion) consisting of: -	Consultation with Union Public Service Commission is necessary	
1.	Chairman or Member, Union Public Service Commission	-Chairman	while appointing an officer on deputation (including short- term contract).
2.	Registrar General, India	-Member	
3.	Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs or Additional Registrar General, India, Office of Registrar		
	General, India	-Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Joint	12*(2020)	General Central	Level-12 in the	Selection
Director	*Subject to	Service, Group 'A'	pay	
(Information	variation	Gazetted, Non-	matrixRs.78800-	
Technology).	dependent on	Ministerial.	209200.	
	workload.			

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9) (10) (11)	
Not applicable. By promotion failing which by deputation including short-term contract. By promotion failing which by deputation including short-term contract. Deputy Director (Information Technical regular service in level-11 in the institute prescribed by the Office General, India.	he pay matrixRs.67700- completed two to four e relevant area from an

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 25

Note 1: For the purposes of promotion to the post of Joint Director, (Information Technology), service rendered by the incumbent as Deputy Director (Electronic Data Processing) [re-designated as Deputy Director (Information Technology)] shall also be counted.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short- term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or University or recognised research institutions or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation, -

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in level- 11 in the pay matrixRs.67700-208700 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-
- (i) Master Degree in Computer Application or Computer Science or Information Technology or Software Engineering from a recognised University or Institute; or

Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Software Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute;

(ii) ten years post qualification experience of electronic data processing or experience of actual computer programming or software development or data base management system or web designing or networking or organising computerised information storage and retrieval system or data security in a Government Office or public sector undertaking or autonomous or statutory organisation or in any recognised institution.

Note 1: The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible

for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 2: The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.
Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

	(12)	(13)	
	oup 'A' Departmental Promotion considering promotion) consisting of: - Chairman or Member, Union Public Service Commission	on Committee -Chairman	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short-term contract)
2.	Registrar General, India	-Member	
3.	Joint Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs or Additional Registrar General, India, Office of the Registrar General, India	-Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Deputy Director (Information Technology).	38*(2020) *Subject to variation dependent on	General Central Service, Group 'A'	Level-11 in the pay matrix Rs.67700-208700.	Selection
	workload.			

	(6)	(7)	(8)
Not	applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short- term contract.	Promotion: Assistant Director (Information Technology) with five years regular service in level-10 in the pay matrix Rs.56100-177500 and possessing the following educational qualifications and training, namely:- (a) Master Degree in Computer Applications or Computer

Science or Information Technology or Software Engineering from a recognised University or Institute; or

Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Software Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute; and

- (b) have successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from an Institute prescribed by the Office of the Registrar General, India.
- **Note 1:** The requirement of possessing the educational qualifications prescribed for officer in the feeder grade shall not be applicable for promotion in respect feeder grade officers who were holding the post on regular basis as on the date of publication of these rules.
- **Note 2:** For the purposes of promotion to the post of Deputy Director, (Information Technology), service rendered by the incumbents as Assistant Director (Electronic Data Processing) and Assistant Director (Data Centre) [re-designated as Assistant Director (Information Technology)] shall also be counted.
- **Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or one year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or University or recognised research institution or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation, -

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in level -10 in the pay matrix Rs.56100-177500 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:-
- (i) Master Degree in Computer Applications or Computer Science or Information Technology or Software Engineering from a recognised University or Institute; or

Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in

Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Software Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute.

(ii) Five years post qualification experience of electronic data processing or experience of actual computer programming or software development or data base management system or web designing or networking or organising computerised information storage and retrieval system or data security in a Government Office or public sector undertaking or an autonomous or statutory organisation or in any recognised institution.

Note 1: The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

	(12)		(13)
Gr	oup 'A' Departmental Promotion Comm	nittee	Consultation with Union Public
(fo	r considering promotion) consisting of:-		Service Commission is necessary while appointing an officer on
1.	Registrar General, India	- Chairman	deputation (including short- term contract).
2.	Additional Registrar General, India or Director(Administration), Office of the Registrar General, India	-Member	
3.	Senior Technical Director or Technical Director, Office of the Registrar General, India	- Member.	

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
5. Assistant	87*(2020)	General Cen	ıtral	Level-10 in the	Selection
Director	*Subject to	Service, Group	'A'	pay matrix	
(Information	variation dependent	Gazetted, N	on-	Rs.56100-	
Technology).	on workload.	Ministerial.		177500.	

(6)	(7)	(8)
Not exceeding 35 years.	Essential:	No
Note 1: Relaxable for Government servant's upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	(i) Master Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science or Software Engineering from a recognised University or Institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of	
Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Software Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute;	
	(ii) three years' experience in electronic data processing or experience of actual computer programming or software development or data base management system or web designing or networking or organising computerised information storage and retrieval system or data security.	
	Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	
	Note 2: The qualification regarding experience is /are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	

(9)	(10)	(11)
One year	67 percent. by promotion	Promotion:
for direct	33 percent. by direct	
recruits	recruitment.	Programmer with two years' regular service in level -8 in
and	recruitment.	the pay matrix Rs.47600-151100 and have successfully
promotees.		completed three weeks Data Processing Level -1 training
		from the training unit of Office of the Registrar General,
		India.
		Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or one year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)		(13)
1. Group 'A' Departmental Promotion C	committee (for	Consultation with Union
considering promotion) consisting of:-		Public Service
		Commission is necessary
(1). Chairman or Member, Union Public	C1 :	for appointment to the
Service Commission	-Chairman	post on each occasion.
(2). Registrar General, India	-Member	
(2). Registral General, India	-IVICITIOCI	
(3). Senior Technical Director or Technical Director		
Office of the Registrar General, India	-Member.	
2. Group 'A' Departmental Confirmation	on Committee	
(for considering Confirmation)consisting of:-		
(1) Designation Company Landin	Chainman	
(1). Registrar General, India	-Chairman	
(2). Director (Administration) or Deputy Secretary	I	
(Administration), Office of	,	
the Registrar General, India	-Member	
(3). Senior Technical Director or Technical		
Director, Office of the Registrar General, India	-Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Programmer.	228*(2020)	General Central	Level-8 in the pay	Selection.
	*Subject to	Service, Group 'B'	matrix Rs.47600-	
	variation	Gazetted, Non-	151100.	
	dependent on	Ministerial.		
	workload.			

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not	By promotion	Promotion:
applicable.	failing which by deputation including short-term contract.	Data Processing Assistant Grade 'B' with two years' regular service in level-7 in the pay matrix Rs.44900-142400 and have successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from an Institute to be prescribed by the Office of the Registrar General, India.
		Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or one year, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
		Deputation (including short- term contract):
		Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or University or recognised research institutions or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation, -
		(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
		(ii) with two years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in level-7 in the pay matrix Rs.44900-142400 in the parent cadre or department; and
		(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-
		(i) Master Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science or Software Engineering from a recognised University or institute; or
		Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in

Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Software Engineering from a recognised University or Institute;

(ii) two years' experience in electronics data processing work including experience of actual programming or software development or web designing or networking or data base management or cyber security.

Note 1: The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)		(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee	(for considering	Consultation with
Promotion) consisting of:-		Union Public Service
		Commission necessary
1. Registrar General, India	-Chairman	while appointing an
		officer on deputation
2. Director (Administration) or		(including short- term
Deputy Secretary (Administration),		contract).
Office of the Registrar General, India	-Member	
3. Senior Technical Director or Technical Director,		
Office of the Registrar General, India	-Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Data Processing	332*(2020)	General Central	Level -7 in the pay	Selection
Assistant Grade 'B'.	*Subject to	Service, Group	matrix Rs.44900-	
	variation	'B' Gazetted,	142400.	
	dependent on	Non- Ministerial.		
	workload.			

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion failing which	Promotion:
	by deputation including short-term contract.	Data Processing Assistant Grade 'A' with five years' regular service in level-6 in the pay matrix Rs.35400-112400 and have successfully completed two to four weeks mandatory training in the relevant area from an Institute prescribed by the Office of the Registrar General, India.
		Note 1: For the purposes of promotion to the post of Data Processing Assistant Grade 'B', service rendered by the incumbent as Senior Supervisor (re-designated as Data Processing Assistant Grade 'A') shall also be counted.
		Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
		Deputation (including short- term contract):
		Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or University or recognised research institution or public sector undertaking or statutory or autonomous organisation,-
		(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
		(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 in the pay matrix Rs.35400-112400 in the parent cadre or department; and
		(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -

- (i) Master Degree in Computer Applications or Information Technology or Software Engineering or Computer Science from a recognised University or Institute; or
- (ii) (a) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science Engineering and Information Technology or Electronics Engineering Electronics or and Communication Engineering or Software Engineering from a recognised University or Institute; and
- (b) two years' experience in electronics data processing work including experience of actual programming or software development or web designing or networking or data base management or cyber security.
- **Note 1:** The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

			(12)			(13)	
Gro	oup '	B'	Departmental	Promotion	Committee	(for	Consultation with	Union
con	siderin	ıg Pı	romotion) consist	ting of:-			Public Service Com	mission
							not necessary.	
1.	Regis	strar	General, India		-Chairman			
2.	Direc	tor (.	Administration) o	r				
	Depu	ty Se	ecretary (Adminis	tration),				
	Office	e of 1	the Registrar Gen	eral, India	-Member			
3.	Techr	nical	Director or Joint	Director				
	(Infor	mati	ion Technology),					
	Office	e of 1	the Registrar Gen	eral, India	-Member.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Data	600*(2020)	General Central	Level -6 in the	Selection.
Processing	*Subject to	Service, Group 'B'	pay matrix	
Assistant Grade	variation dependent	Non-Gazetted, Non-	Rs.35400-	
'A'.	on workload.	Ministerial.	112400.	

(6)	(7)	(8)
Note 1: Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limits shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	 (a) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology or Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Software Engineering from a recognised University or Institute; or (b) (i) Bachelor Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science from a recognised University or Institute; (ii) two years' experience in electronics data processing work including experience of actual programming or software development or web designing or networking or database management or cyber security. 	No
	Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Schedule Castes	

or the Schedule Tribes, if at any stage of selection the	
Staff Selection Commission is of the opinion that	
sufficient number of candidates from these communities	
possessing the requisite experience are not likely to be	
available to fill up the vacancies reserved for them.	

ator Grade 'B' with six years in level-5 in the pay matrix 0 and have successfully four weeks mandatory training a from the institute prescribed in Registrar General, India. Ors who have completed their eligibility service are being comotion, their seniors would be provided they are not short of frying or eligibility service by such qualifying or eligibility ars, whichever is less, and have letted their probation period for next higher grade alongwith have already completed such gibility service.
() ff :: a 1

	(12)		(13)
1.	Group 'B' Departmental Promotion	Committee (for	Consultation with Union
cons	idering promotion) consisting of:-		Public Service
			Commission not
(1).	Registrar General, India	-Chairman	necessary.
(2).	Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), Office of the Registrar General, India	-Member	
	Technical Director or Joint Director (Information Technology),	V 1	
	Office of the Registrar General, India	- Member.	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 37

2.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-
(1).	Director (Administration) or Deputy Secretary (Administration), Office of Registrar the General, India - Chairman
(2).	Joint Director(Information Technology), Office of the Registrar General, India - Member;
(3).	Deputy Director (Information Technology), Office of the Registrar General, India - Member.

[F. No. A-51011/1/2016-Ad.V]

Dr. VIVEK JOSHI, Registrar General & Census Commissioner, India